न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 19/2017

उनवान

1. छगनलाल
2. मोतीलाल पुत्रगण रायचन्द जाति जाट निवासी ग्रामगादेरी, नसीरावाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मोती पत्र फूलचन्द,
2. राधाकिशन,
3. रामधन,
4. हरलाल,
5. काना पि. रामचन्द जाति जाट नि0 मोडी, नसीरावाद
6. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीरावाद,

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित
7 जरियें राज0 पैरोकार

8. रोडू,
9. तीजी,
10. लाली,
11. सीता,
12. अमरी
13. झमरी पि0 चतुर्भुज जाति जाट नि. गादेरी, नसीराबाद

—— प्रर्फोमा प्रतिवादीगण :– 8 से 13 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :- [illegible] — 08/07/2022

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद [illegible] निवेदन किया [illegible] ग्राम व प0म0 गादेरी में स्थित निम्न आराजी वादीगण व प्रर्फोमा प्र[illegible] –

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख0नं0	रकबा	वर्किंग ख0नं0	रकबा	हाल ख0नं0	रकबा
834	9–18–0	1217	8–16–0	1367	1.45
836	9–15–0	1218	0–10–00		
		1220	2–10–0	1378	0.26
		1219	1–12–0	1373	0.06
		1217	0–9–0	1366	0.08
		1218	1–5–0	1374	0.16
		1268	1–0–0	1395	0.16
		1267	1–10–0	1394	0.24
		1266	0–10–0	1393	0.08
		1265	0–6–10	1392	0.05
		1264	0–12–10	1288	0.03
				1389	0.03
				1390	0.03
				1391	0.02

उक्त आराजी के साविक खसरा नम्बर 834 व 836 के वर्किंग खसरा नम्बर 1217 व 1218 विक्रेतागण के वारिसान के नाम दर्ज हो गये है। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रर्फोमा प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता फूला पुत्र गोपी से क्रय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र की पालना में दिनांक 10.10.1997 को वादीगण व प्रर्फोमा प्रतिवादीगण के नाम उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख मे आराजी मुतनाजा बिना किसी कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई। अतः हाल खसरा नम्बर 1367 रकबा 1.45 व 1374 रकबा 0.16 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 व 8 से 13 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद विचारण के दौरान समय पर जवाब पेश नही करने पर उनका जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में खण्डन का जवाब नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी छगनलाल का शपथ पत्र पेश किया तथा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये। प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु तहसील कार्यालय नसीराबाद से भू संशोधन जमाबंदी तलब कर अवलोकन किया गया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 834 रकबा 9–18–0 व 836 रकबा [illegible] व अन्य आराजी तत्कालीन खातेदार फूला पुत्र गोपी ने जरियें पंजीकृत विक्रय [illegible] च[illegible] व रायचन्द पुत्र लादू को बेचान कर दी थी। साविक खसरा नम्बर 834 के वर्किंग [illegible] नम्बर 1217 व 1218 तथा साविक खसरा नम्बर 836 के वर्किंग [illegible] 1218, 1268, 1267 1266, 1265 व 1264 बने है। नामान्त[illegible] नामे का नामान्तकरण चतुर्भुज व रायचन्द पुत्र लादू के नाम खोला गया। वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 130 मे वर्किंग खसरा नम्बर 1217 मिन रकबा 0–9–0 व 1218 मिन रकबा 1–5–0 रामचन्द व फूला पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गोपी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्किंग खाते में नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 10.10.77 से पूरा खाता बैचान से चतुर्भुज व रायचन्द पुत्र लादू के नाम अकन किया गया। वादी का कथन है कि खसरा नम्बर 1217 व 1218 की वर्किंग जमाबंदी जीर्ण–शीर्ण होने के कारण खसरा नम्बर 1217 व 1218 के पूर्ण रकबे की जमाबंदी पेश नही की गयी। प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु तहसील कार्यालय से भू संशोधन जमाबंदी तलब कर अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 1217 रकबा 9–5–0 तथा 1218 रकबा 1–15–0 भू संशोधन जमाबंदी के खाता संख्या 142 में रामचन्द्र व फूला पुत्र गोपी जाति जाट के नाम खातेदारी अंकित है। हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.16 व 1367 रकबा 1.45 वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज नही करके प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये है। जबकि वर्किंग खसरा नम्बर 1217 व 1218 के अन्य हाल खसरा नम्बर विक्रय पत्र अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रर्फोमा प्रतिवादीगण के नाम अंकित है। आराजी मुतनाजा का विक्रय दिनांक 04.08.1977 को किया गया। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। तत्कालीन खातेदार ने पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का बैचान किया है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा वाद के तथ्यों को सिद्व करने हेतु पर्याप्त दस्तावेज पेश किये है। हाल खसरा नम्बर की अन्य आराजी के अनुसार खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.16 व 1367 रकबा 1.45 भी वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। किन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा आराजी मुतनाजा बिना किसी आधार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज कर दी जिसकी दुरूस्ती न्यायोचित है।

अतः ग्राम गादेरी के हाल खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.16 व 1367 रकबा 1.45 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण तथा प्रर्फोमा प्रतिवादी संख्या 8 से 13 को उक्त आराजी पर विक्रेता फूलचन्द पुत्र गोपी के हिस्से की आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 08/07/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छगनलाल बनाम मोती

दावा बाबत – 88, 188, 92अ राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 19/2017
पेश करने की दिनांक – 14.02.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर ए एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम गादेरी के हाल खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.16 व 1367 रकबा 1.45 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण तथा प्रर्फोमा प्रतिवादी संख्या 8 से 13 को उक्त आराजी पर विक्रेता फूलचन्द पुत्र गोपी के हिस्से की आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक — को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करें।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 8 माह 7 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	वावत् इजराय हुक्मनामा
वावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद